न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा
सलामुद्दीन बनाम राजस्थान सरकार
GCMS No- 2020/00342
प्रकरण संख्या 134/2020

न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ(राज.)

पीठासीन अधिकारी :–विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 134/2020
जीसीएमएस न0 2020/00342

1. सलामुद्दीन पिता बन्दु खां जी जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा।

—— प्रार्थी

बनाम

1. रामलाल पिता राधाकिशनजी जाति कीर निवासी साकरिया तहसील निम्बाहेड़ा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

—— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1– श्री अबरार अहमद – अधिवक्ता प्रार्थी

:: निर्णय :: दिनांकः– 30.08.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया कि मौजा साकरिया पटवार हल्का रानीखेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा की आराजी के खाता संख्या 296 के आराजी नंबर 176 रकबा 0.9400 हैक्टेयर, आराजी नंबर 810/178 रकबा 0.2500 हैक्टेयर स्थित है।

2. वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की है तथा विपक्षी नं० 1 जो की प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी का दक्षिण पश्चिम दिशा का पडोसी हैं। प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात जमाबन्दी में सही दर्ज है परन्तु नक्शा ट्रेस में रकबा बरारी करने पर कम प्रदर्शितहोती है। पुराने नक्शे में सही दर्ज थी परन्तु नवीन नक्शे में लगभग 1 बीघा अर्थात 25 आरी का अन्तर है। इसी प्रकार विपक्षी की आराजीयात में जमाबन्दी में सही रकबा अंकित है परन्तु नक्शा ट्रेस में रकबा बरारी करने पर विपक्षी की आराजी स्पष्ट रूप से लगभग 1 बीघा अर्थात 25 आरी ज्यादा प्रकट होती है। इसी अनुसार विपक्षी ने मौके पर कब्जा भी कर रखा है। इस प्रकार पुराने रेकार्ड एवं नवीन रेकार्ड में स्पष्ट अन्तर है और जमाबन्दी में अंकित रकबे अनुसार ही नक्शा ट्रेस में रकबा तरमीम किया जाना आवश्यक है।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया विपक्षी क्रमांक 1 को कई अवसर देने के उपरांत जवाब बंद किया गया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा अपेक्षा जांच रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जो निम्नानुसार हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:39:26 IST
Reason: SelfAttested

1. वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में मौजा साकरिया में स. 2077-80 में आराजी नंबर 810/178 रकबा 0.25 हैक्टेयर खातेदार श्री सलामुद्दीन पिता बुन्दु खां मुसलमान सा. निम्बाहेड़ा के नाम व आराजी नंबर 176 रकबा 0.94 हैक्टेयर खातेदार सलामुद्दीन पिता बुन्दु खां मुसलमान सा. निम्बाहेड़ा 33/47, अब्दुल रज्जाक, अब्दुल हमीद सुनसरा पुत्र अब्दुल सुलेमान मुसलमान 7/47 सा. 40 मोमीवास–1 अलीगढ़ तहसील पालनपूर जिला बनास काठा (गुजरात), कड़ीवाल तल्हा आदम पुत्र कड़ीवाल आदम भाई जाति

Scanned by CamScanner

मुसलमान 7/47 सा. मुमानपुरा मदरसा, पाछल खली तहसील सिद्धपुर जिला पाटन (गुजरात) खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है और खाता संख्या में आराजी नंबर 211 रकबा 0.4700 हैक्टेयर चाही 3 श्री रामलाल पिता राधाकिशन कीर सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

2. श्री सलामुद्दीन मुसलमान के द्वारा अपने वाद कथनानुसार अपनी आराजी नंबर 176 रकबा 0.94 हैक्टेयर का दक्षिणी पश्चिमी भाग वर्तमान में राजस्व नक्शा में छोटा कर दिया गया है और इससे लगी हुई आराजी संख्या 211 श्री रामलाल कीर की राजस्व नक्शे में बड़ी कर दी गयी है। इस संबंध में गत भू प्रबंध का साबिक नक्शा का वर्तमान राजस्व नक्शा से मिलान किया गया। श्री सलामुद्दीन की आराजी नंबर 176 का दक्षिणी हिस्सा जो कि रामलाल कीर की आराजी नंबर 211 से जुड़ा हुआ है। वह गत भू प्रबंध का नक्शा व वर्तमान राजस्व नक्शा में दोनों आराजी की सीमाएं बिल्कुल सही अंकित है। गत भु प्रबंध के नक्शे अनुसार ही वर्तमान राजस्व नक्शा बना हुआ है। केवल सलामुद्दीन की आराजी 176 का दक्षिणी हिस्सा दो चंद्राकार हिस्से में बना हुआ है और इस आराजी व रामलाल कीर की आराजी 211 के बीच में बरसाती नाला बना हुआ है जिसके कारण सलामुद्दीन की आराजी नंबर 176 का दक्षिणी भाग नाले में पानी के बहाव क्षेत्र होने से भूमि कटकर मौके पर कम पड़ गयी है। जिससे सलामुद्दीन का वर्तमान मौका अनुसार आराजी नंबर 176 का रकबा कमी होता है लेकिन राजस्व नक्शा में कोई अंतर नहीं हैं। प्रतिवादी श्री रामलाल कीर का आराजी नंबर 211 की गत भू प्रबंध नक्शा अनुसार ही वर्तमान राजस्व नक्शा बना हुआ है और उसकी भूमि भी नाले के बहाव क्षेत्र में शामिल होकर मौके पर उसकी भूमि भी आराजी नंबर 211 का उत्तरी भाग नाले में सम्मिलित होकर मौके पर आराजी रकबे में कम होना पाया गया।

3. इस प्रकार गत भूप्रबंध के राजस्व नक्शा व वर्तमान राजस्व नक्शा में आराजी की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं होने से वादी श्री सलामुद्दीन पिता बुन्दु खां मुसलमान सा. निम्बाहेड़ा का प्रकारण निरस्त किये जाने योग्य है।

4. दोंनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया।

5. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

> *136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:*
>
> *Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties*

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:59:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

6. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

5. प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों एवं दस्तावेजों के आधार पर एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा की जांच रिपोर्ट का संक्षिप्त सार यह है कि वादग्रस्त आराजीयात मौजा साकरिया पटवार हल्काा रानीखेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा की आराजी के खाता संख्या 296 के आराजी नंबर 176 रकबा 0.9400 हैक्टेयर, आराजी नंबर 810/178 रकबा 0.2500 हैक्टेयर स्थित है। उक्त आराजियात के दक्षिणी भाग नाले में पानी का बहाव क्षेत्र होने से भूमि कटकर मौके पर कम पड़ गयी है जिससे वादी सलामुद्दीन का वर्तमान मौका अनुसार आराजी नंबर 176 का रकबा कम हो गया है जबकि गत भू प्रबंध नक्शे व वर्तमान भू प्रबंध नक्शे में कोई अंतर नहीं है। इसलिए उक्त प्रकरण को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(विकास पंचौली)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:59:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner